

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ज्ञानगढ..... व भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ज्ञानगढ..... पटवार हल्का ज्ञानगढ..... तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073-76..... में खाता संख्या 469, 475..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	ज्ञानगढ	भा.नं. 2509 710 व 310	कच्चे अनुसार तहसील नहीं है	तहसीलदार करेड़ा की रिपोर्ट व भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार तहसील शुद्ध दिने ध्यान का आदेश दिया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
सिडिक कलेक्टर करेड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2022/295

दिनांक:- 09/11/2022

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ग्राम पंचायत ज्ञानगढ

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

